उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2009)

THE UTTAR PRADESH PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT ACT, 2009

(U.P. Act No. 4 of 2009)

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 2009]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 19 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 20 फरवरी, 2009 को प्रकाशित हुआ।]

जल उपभोक्ता समितियों को सहभागी सिंचाई प्रबंधन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए सशक्त करने और उससे संबंधित एवम् आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में घोषित अपनी राज्य जल नीति में सहभागी पहुँच के माध्यम से समेकित जल संसाधन विकास को अंगीकार करने का संकल्प लिया है;

और, चूंकि, जल उपभोक्ता समितियों को साम्यापूर्ण जल वितरण, इसके दक्ष एवं अनुकूलतम उपयोग, सिंचाई एवं जल निकास प्रणाली के रख–रखाव, सतही जल और भू–जल के सहयुक्त उपयोग को बढ़ावा, कमाण्ड क्षेत्र के विकास, जल प्रभार का निर्धारण एवं वसूली तथा पर्यावरण व परिस्थितिकी के संरक्षण में प्रभावी भूमिका सौंपी जानी है।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 उ0प्र0 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय यह ऐसे दिनांक को प्रभावी होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग–अलग क्षेत्रों, अलग–अलग सिंचाई प्रणालियों, एक ही सिंचाई प्रणाली के विभिन्न स्तरों (उदाहरणार्थ अल्पिका, रजबहा व अन्य उच्च स्तरों) तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,–

(क) **''अनुबन्ध''** का तात्पर्य, निचले स्तर की जल उपभोक्ता समितियों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, के मध्य सिंचाई के लिए पारिमाणिक या क्षेत्र आधार पर जल की आपूर्ति और परिचालन सौंपने, अनुरक्षण और प्रबंधन के संदर्भ में विहित समयावधि हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध से है;

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखिये।

(ख) **''शीर्ष समिति''** का तात्पर्य अनुश्रवण, मूल्यांक एवं जल प्रबंध की सहभागी पहुंच पर अनुसंधान के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है जो सरकार को संबंधित नीति विषयक पृष्ठ पोषण एवं परामर्श प्रदान कर सके;

(ग) **''अपीलीय अधिकारी''** का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सक्षम नहर अधिकारी अथवा जल उपभोक्ता समिति, जैसी स्थिति हो, के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई और निर्णय के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) **''कार्य क्षेत्र''** अथवा ''वर्णित क्षेत्र'' का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा वर्णित सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र में, जहां तक संभव हो निरंतरता लिए हुए ऐसा भू–क्षेत्र जो भू–आकृति, जलाकृति तथा/अथवा प्रशासनिक आधार पर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से है;

(ङ) **''शाखा''** का तात्पर्य समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 500 क्यूसेक अथवा अधिक हो;

(च) **''नहर''** का तात्पर्य अपने समस्त कार्यों सहित ऐसे जलमार्गों से है, जो गूलों, जल निकास नालियों तथा उनके संबंधित संरचनाओं सहित कमाण्ड क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसने राज्य सरकार द्वारा नहर के प्रयोजनों हेतु उपभोग में रखी गयी समस्त भूमि, भवन, मशीन, चारदीवारी, गेट्स तथा अन्य रचनाएं, वृक्ष वृक्षारोपण या अन्य उत्पाद, जो राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता अथवा संबंधित हो, भी है।

(छ) **''नहर प्रणाली का तात्पर्य''** नहर से है जिसमें उससे जुड़ी हुई नहरें भी हैं।

(ज) **''कमांड क्षेत्र''** का तात्पर्य परिचालन के विहित क्षेत्र, जिसके लिए जल उपभोक्ता समिति गठित की गयी है, के भीतर या तो तोड़ अथवा डाल अन्य किसी विधि द्वारा सिंचित या सिंचाई योग्य क्षेत्र से है;

(झ) **''सक्षम प्राधिकारी''** का तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी से है;

(ञ) **''सक्षम नहर अधिकारी''** का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ट) **''सक्षम जांच अभिकरण''** का तात्पर्य किसी उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियां अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है, जो इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है;

(ठ) **''कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र''** का तात्पर्य कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र से है;

(ड) **''परिकल्पित प्रवाह''** का तात्पर्य उस अधिकतम प्रवाह से है जिसके लिए नहर प्रणाली परिकल्पित की गई हो;

(ढ़) **''न्यूनता वर्ष''** का तात्पर्य किसी व्यावर्तन अथवा जलाशय आधारित नहर प्रणाली के सम्बन्ध में, उस वर्ष से है, जिसमें शीर्ष कार्यों पर जल उपलब्धता सामान्य वर्ष से कम हो;

(ण) **''प्रवाह'** का तात्पर्य किसी नहर से होकर समय की प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा से है;

(त) **''रजबहा''** का तात्पर्य सिंचाई विभाग द्वारा इस नाम से अभिहित नहर अथवा अपने कार्यों सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्यूसेक तथा 500 क्यूसेक के मध्य हो;

(थ) **''कलेक्टर''** के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी है;

(द) **''निर्वाचन** अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन संबंधी कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से है;

(ध) **''खेत''** का तात्पर्य कृषि किये जाने वाले खेत से है;

(न) **''खेत निकास नाली''** का तात्पर्य अपने समस्त सहायक कार्यों सहित एक ऐसी जल वाहिका से है जो खेतों का अनुपयोगी जल या अधिक जल समीपस्थ जल निकास नाली में प्रवाहित करे;

(प) **''गेज''** का तात्पर्य उस चिन्हांकित पैमाने अथवा मापक उपकरण से है जो नहर के विशिष्ट भाग पर जल के स्तर के प्रवाह को माप सके;

(फ) **''सामान्य सभा''** का तात्पर्य कुलाबा समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें कुलाबा समिति के सभी सदस्य हों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें ठीक नीचे वाली जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समितियों के सदस्य हों;

(ब) **''सकल कमांड क्षेत्र''** का तात्पर्य नहर प्रणाली के उस समस्त क्षेत्र से है जो प्राकृतिक नालियाँ से घिरा हो;

(भ) **''जलाकृति आधार''** का तात्पर्य उस आधार से है जिस पर जल उपभोक्ता समिति के कार्य क्षेत्र जो नालों अथवा प्राकृतिक ढालों के मध्य भू–आकृति आधार पर चिन्हित किया गया हो तथा जिसमें जल सामान्यतः गुरूत्वीय प्रवाह से पहुँच जाता हो;

(म) **''ठीक निचली जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य नहर कमांड में अवस्थित जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस नहर से सीधे निकलने वाली नहर पर गठित हो;

(य) **''ठीक ऊपरी जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस पैतृक नहर के कमांड क्षेत्र हेतु गठित की गई हो जिससे इस जल उपभोक्ता समिति की नहर को जल प्राप्त होता है;

(क क) **''सिंचाई विभाग''** का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(क ख) **''सिंचाई प्रणाली''** का तात्पर्य सिंचाई परियोजना, जिसे सिंचाई एवं अन्य सहकार्यों के उपयोग हेतु जल प्राप्त करने जिसमें जलाशय तथा/अथवा व्यावर्तित नहर प्रणाली, आप्लावित जल वाहिकाएं, डाल सिंचाई योजनाएं, ताल तथा ऐसे ही अन्य कार्य सम्मिलित हों, के लिए किया जाये, से है। इसमें नहर कमाण्ड में खेतों से अनुपयोगी या अधिक जल को निकटस्थ जल निकास नाली तक निकालने वाली खेत जल निकास नाली भी सम्मिलित है;

(क ग) **''भू—धारक''** का तात्पर्य खतौनी अथवा बन्दोबस्ती रजिस्टर के अनुसार भूमि के स्वामी अथवा आसामी अथवा उप असामी अथवा कब्जे वाला बंधकदार अथवा पट्टेदार अथवा अनुज्ञापी अथवा भू—धृतिधारक अथवा अन्य से है और सिंचाई से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति भी है;

(क घ) **''डाल सिंचाई''** का तात्पर्य उस सिंचाई से है जिसमें जल को उसके स्रोत से उठाकर ऊँचे स्तर के क्षेत्र में अवस्थित भूमि हेतु आपूर्ति किया जाता हो;

(क ङ) **''डाल सिंचाई योजना''** का तात्पर्य उस सिंचाई योजना से है, जिसमें जल को ऊपर उठाकर नहर प्रणाली की पूरित किया जाता है;

(क च) **''निचले स्तर के जल उपभोक्ता समिति''** का जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में तात्पर्य वर्णित क्षेत्र में अवस्थित उन सभी जल उपभोक्ता समिति से है जो उस विशिष्ट जल उपभोक्ता समिति से निचले स्तर पर हो;

(क छ) **''प्रबंध समिति''** का तात्पर्य, ऐसी रीति से जैसी विहित की जायें, निर्वाचित अथवा नामित अभिहित सदस्यों की समिति से है;

(क ज) **''अल्पिका''** का तात्पर्य सिंचाई विभाग द्वारा इस रूप में अभिहित नहर अथवा अपने समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है, जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्यूसेक से अधिक न हो;

(क झ) **''सामान्य वर्ष''** का तात्पर्य एक व्यावर्तन प्रणाली अथवा जलाशय आधारित नहर के संदर्भ में एक ऐसे कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें शीर्ष पर जल उपलब्धता (उस जल तथा जल सहित जो जलाशय से छोड़ा जाना हो) सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित की गई अथवा वाद में पुनरीक्षित की गई जल उपलब्धता के समतुल्य रही हो;

(क ञ) **''पदाधिकारी''** का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष से है;

(क ट) **''कलाबा''** का तात्पर्य अपने सभी कार्यों सहित अल्पिका, रजबहा अथवा शाखा अथवा मुख्य नहर अथवा पक्की गूल पर निर्मित संरचना से है जो नहर से जल लेकर गूल के माध्यम से खेतों तक पहुँचाती है;

(क ठ) **''सहभागी सिंचाई प्रबंधन''** का तात्पर्य नहर प्रणाली के प्रत्येक स्तर एवं सिंचाई प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में हितग्राहियों की सहभागिता से है;

(क ड) **''पूर्व देयों''** का तात्पर्य जल शुल्क निर्धारण व वसूली के संदर्भ में उस धनराशि से है, जो भू–धारक अथवा जल उपभोक्ता समिति को प्रेषित बीजक अथवा नोटिस में उल्लिखित हो परन्तु उनके द्वारा भुगतान न किये गये हों ;

(क ढ) **''पंजीयक''** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नामित उस अधिकारी से है जिसे जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में पंजीकरण का कार्य सौंपा जाय;

(क ज) **''संरक्षित निधि''** का तात्पर्य धारा 31 के अधीन निधि से है;

(क त) **''टेल गूल''** का वही तात्पर्य है जैसा खण्ड (क ट) में कुलाबा के लिए परिभाषित है। जहां कहीं कुलाबा का उल्लेख होगा उसमें टेल गूल समाहित होगा;

(क थ) **''उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सिंचाई प्रणाली के वर्णित कार्य क्षेत्र में अवस्थित उच्चतर स्तर की जल उपभोक्ता समितियाँ से है;

(क द) **''जल का अपव्यय''** का तात्पर्य नहर सुरक्षा के अतिरिक्त नहर के एस्केप चैनल के माध्यम से जल का अनुपयोगी बहाव अथवा सिंचाई या अन्य वैध उपयोग के अतिरिक्त जल के अवैध उपयोग से है;

(क ध) **''जल प्रभार''** का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति/भू–धारक द्वारा सिंचाई विभाग/ उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को जल पूर्ति के लिए ऐसी दरों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय संदेय धनराशि से है;

(क न) **''जल दर''** का तात्पर्य आपूर्ति बिन्दु पर प्रभार्य इकाई क्षेत्र/आयतन के जल मूल्य से है;

(क प) **''जल मार्ग''** या ''क्षेत्र प्रवाह मार्ग'' या ''गूल'' का तात्पर्य समस्त सहायक कार्यों सहित किसी प्रवाह मार्ग से है जो किसी कुलाबा से जल प्राप्त करे और खेतों को वितरित करें;

(क फ) **''जल उपभोक्ता''** का तात्पर्य कमांड क्षेत्र में जल उपयोग करने वाले किसी एकल व्यक्ति अथवा निकाय अथवा संगठन अथवा समूह से है;

(क ब) **''जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य एक नहर के डाल एवं तोड़ सिंचाई हेतु विशिष्ट स्तर पर गठित जल उपभोक्ताओं के संगठन से है;

(क भ) **''परियोजना स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य परियोजना स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे परियोजना समिति कहा जायेगा;

(क म) **''शाखा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य शाखा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे शाखा समिति के नाम से जाना जायेगा;

(कय) **''रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य रजबहा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे रजबहा समिति कहा जायेगा;

(ककक) **''अल्पिका स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य अल्पिका पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे अल्पिका समिति कहा जायेगा;

(कखख) **''कुलाबा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति''** का तात्पर्य कुलाबा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे कुलाबा समिति कहा जाएगा;

(कगग) **''सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि''** का तात्पर्य सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल से है।

(2) अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 में उनके लिए समनुदेशित है।

अध्याय–दो

जल उपभोक्ता समिति, उसका गठन, शक्तियां एवं कृत्य

जल उपभोक्ता समिति नियमित निकाय होगा

3–इस अधिनियम के अधीन गठित और निबंधक द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति एक निगमित निकाय होगी और उसके पास निगमित निकाय की शक्तियों के अलावा यह शक्ति भी होगी कि वह अपने प्रभार में सौंपी गयी सिंचाई प्रणाली का प्रबन्ध करें और उसे अनुरक्षित रखें, तथा अपने नियंत्रण एवं प्रबन्धन के अधीन सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक, उचित एवं समीचीन सभी कार्य करें परन्तु किसी जल उपभोक्ता समिति को यह शक्ति नहीं होगी कि वह सरकार द्वारा सौंपी गयी किसी सम्पत्ति को किसी भी रीति से अन्यसंक्रांत करे।

जल उपभोक्ता समिति के उद्देश्य

4–जल उपभोक्ता समिति का मुख्य उद्देश्य जल प्रबन्धन में जल उपभोक्ताओं की सहभागिता सम्पादित करना तथा जल उपभोक्ताओं के मध्य उनके क्षेत्र में जल प्रणाली के स्वामित्व की भावना भी उत्पन्न करना है। स्पष्टतया विनिर्दिष्ट रूप से जल उपभोक्ता समिति :–

(एक) साम्यपूर्ण, दक्ष और सामयिक जल वितरण को प्रोत्साहित करेंगी तथा उसकी सुरक्षा करेगी ;

(दो) वैज्ञानिक और मितव्ययों जल प्रयोग के संव्यवहारों को ग्रहण करने के लिए जल उपभोक्ताओं को बढ़ावा देगी;

(तीन) सतही और भू–गर्भ जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करेगी;

(चार) तीव्र और उपयोजित कृषि उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी; और

(पांच) पर्यावरण और परिस्थितिकी का संरक्षण करेगी।

जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ और कृत्य

5–(1) जल उपभोक्ता समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(एक) किसी भूमि में प्रवेश करना, बाधाओं को दूर करना किसी जलमार्ग को बंद करना और उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय करना ;

(दो) यदि उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो किसी खड़ी फसल, बाड़ा या झाड़ी के किसी भाग की कटाई करना या/और सफाई करना ;

(तीन) नहर जल के उपयोग का निरीक्षण करने या उसे विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, या उसके द्वारा सिंचित और जल दर से प्रभार्य भूमि की पैमाइश करने के लिए किसी भवन या जलमार्ग में प्रवेश करना और ऐसे नहरों के समुचित विनियमन तथा प्रबन्धन के लिए आवश्यक सभी उपाय करना;

(चार) कोई दुर्घटना घटित होने या किसी नहर जल उपभोक्ता समिति के प्रति आशंका होने की स्थिति ने ऐसे नहर से संलग्न किन्हीं भूमियों पर प्रवेश करना और वह ऐसे समस्त कार्यों को निष्पादित कर सकती है जो ऐसी दुर्घटना को रोकने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

परन्तु यदि जल उपभोक्ता समिति किसी भवन या निवास गृह से लगे हुए मैदान या उद्यान, जिसे नहर जल की आपूर्ति न की जाती हो, में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है तो वह ऐसे भवन, मैदान या उद्यान के अध्यासी को ऐसा करने के अपने आशय के संबंध में न्यूनतम सात दिन की लिखित पूर्व सूचना देगी :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन प्रवेश की प्रत्येक स्थिति में जल उपभोक्ता समिति, ऐसे प्रवेश के समय क्षति के किसी विधिसम्मत दावा के लिए प्रतिकर निविदत्त करेगी जो इस धारा के अधीन कृत किसी कार्यवाही द्वारा आवश्यक हो, और इस प्रकार निविदत्त धनराशि की पर्याप्तता से संबंधित विवाद की स्थिति में वह उसे तत्काल सक्षम नहर अधिकारी को विनिश्चियार्थ संदर्भित करेगी। सक्षम नहर अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) (क) कुलाबा, अल्पिका या रजबहा सार पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों को सम्पादित करेगी :–

(एक) नहर के आकंड़ों तथा जल प्रयोग की प्रास्थिति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचित करना और सामान्य निकाय की बैठक में उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के लिए सुझाव, यदि कोई हो आमंत्रित करना;

(दो) जल आय व्ययक और मृदा की स्थिति के अनुसार फसल योजना तैयार करना;

(तीन) जल मांग पत्र तैयार करना और इसको, यथा स्थिति, तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(चार) आयतनमितीय के आधार पर यथास्थिति तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी से जल प्राप्त करना और इसे तात्कालिक अवर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या भूमि धारकों को साम्यपूर्ण तथा पारदर्शी रीति से आपूर्त करना;

(पांच) विहित रीति से जल वितरण प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना;

(छः) यथा विहित रीति से जल आयव्ययक तैयार करना तथा जल विवरण अनुरक्षित रखना;

(सात) अनधिकृत सिंचाई तथा जल छीजन की रोकथाम करना, धारा 33 के अधीन यथास्थिति तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/सक्षम नहर अधिकारी को अपराधों के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट देना सुनिश्चित करना और विवेचक अभिकरण के साथ सहयोग करना;

(आठ) जल सम्परीक्षा सहित फसल के मौसमवार या वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति सामान्य निकाय तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना ;

(नौ) अपने प्रवर्तन क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना;

(दस) जल अभिलेखन तथा जल प्रभारों के मूल्यांकन एवं उनकी वसूली की प्रक्रिया में यथाविहित रीति से सहायता करना और उसमें सहभागिता करना;

(ग्यारह) अपने प्रभार में आस्तियों की सूची तैयार करना और इसे यथाविहित रीति से अन्य अभिलेखों के साथ अनुरक्षित रखना ;

(बारह) इसके सदस्यों या अवर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के मध्य होने वाले विवादों या भिन्नताओं का समाधान करना;

(तेरह) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(ख) कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(एक) जल मार्गों और मैदानी नालों का निर्माण करना और उन्हें अनुरक्षित रखना;

(दो) भू–धारकों के मध्य उपलब्ध जल का वितरण करना।

(ग) माइनर या रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(एक) प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व अपने प्रभार में सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण और सुधार करना ;

(दो) अपने प्रभार में सिंचाई प्रणाली के विशेष अनुरक्षण एवं सुधारों को क्रियान्वित करना ;

(तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना।

(घ) शाखा समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(एक) पूर्व और वर्तमान जल प्रभारों की वसूली एवं वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में यथास्थिति निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को परामर्श देना;

(दो) सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके चक्रानुक्रम और सिंचाई अन्तरालों की संख्या पर विचार करते हुए प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व शाखा के लिए जल आय व्ययक और प्रारम्भिक सिंचाई कार्यक्रम के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस तैयार करना और जारी करना;

(तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति और सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके नहर प्रचलन अनुसूचियां तैयार करना;

(चार) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;

(ङ) परियोजना समिति परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जल प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों पर सक्षम नहर अधिकारी और शीर्ष समिति को परामर्श देगी।

(3) जहाँ जल उपभोक्ता समिति कुलाबा स्तर पर विद्यमान न हो, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति भी विद्यमान न हों, वहां कुलाबा स्तर की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर अधिकारी में निहित होंगी।

(4) जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हों, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ रजबहा स्तर पर भी जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हों, वहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम अधिकारी में निहित होंगी।

(5) जहाँ जल उपभोक्ता समिति रजबहा स्तर, शाखा स्तर और परियोजना स्तर पर विद्यमान न हों, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर अधिकारी में विहित होंगी।

जल उपभोक्ता समिति के परिचालन के क्षेत्र का वर्णन

6–(1) सक्षम नहर अधिकारी, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, सिंचाई परियोजना या उसके किसी भाग के नियंत्रण क्षेत्र का जलीय और/या प्रशासनिक आधार पर ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णन या उपान्तर कर सकता है जिसके लिए उपयुक्त स्तर के जल उपभोक्ता समिति का गठन विहित रीति से किया जाएगा :

परन्तु यह कि परिचालन के क्षेत्र के उपान्तर से सम्बन्धित ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक कि जल उपभोक्ता समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को विहित रूप से उचित अवसर न प्रदान किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में,

(क) कार्रवाई क्षेत्र के अद्यतन राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि और अन्य यथाविहित दस्तावेज होंगे।

(ख) अधिसूचना को जल उपभोक्ता समिति के कार्रवाई क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों पर व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) इच्छुक भू–धारकों द्वारा मांग किये जाने पर उक्त प्रतियाँ ऐसा भुगतान करने पर जो विहित किया जाय, उसे उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) अधिसूचना या उसके किसी भाग द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(4) अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और तत्पश्चात् ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उक्त अधिसूचना उपान्तरित हो जाएगी। परन्तु यह कि सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा।

कुलाबा समिति के स्तर पर जल उपभोक्ता समिति का गठन

7–(1) कुलाबा के कार्रवाई क्षेत्र के क्रम में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समिति का गठन किया जायेगा।

(2) कुलाबा के समस्त जल उपभोक्ता कुलाबा समिति के सामान्य निकाय का गठन करेंगे और विहित अर्हता रखने वाले केवल वयस्क सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। अवयस्क सदस्यों की दशा में उनके नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार होगा। यदि नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय का पहले से सदस्य हैं तो उसे केवल एक बार अपना मत देने का अधिकार होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के किसी पद पर चयनित किये जाने के लिए पात्र नहीं है, कुलाबा समिति की प्रबन्ध समिति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति और उसके सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन

8–(1) कुलाबा के नियंत्रण को उपनियंत्रणों की ऐसी संख्या में विभाजित किया जाएगा, जैसी विहित की जायें। प्रत्येक उपनियंत्रण में भू–धारकों की लगभग एक समान संख्या होगी।

(2) प्रत्येक कुलाबा समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसका एक अध्यक्ष होगा। समिति में प्रत्येक उपनियंत्रण से एक प्रतिनिधि होगा। यदि प्रबन्धन समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला या पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो प्रत्येक प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी के सापेक्ष एक व्यक्ति और ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को सामान्य सभा के सदस्यों में से प्रबन्धन समिति द्वारा सहयोजित किया जाएगा। यह प्रबंध समिति कुलाबा समिति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(3) उपनियंत्रण के प्रतिनिधि को उपनियंत्रण के भू–धारकों में से यथाविहित अवधि और रीति से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपनियंत्रणों के प्रतिनिधियों में से कुलाबा समिति की प्रथम बैठक में स्वयं चयन किये जाएंगे, कुलाबा समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सक्षम सिंचाई अधिकारी द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की अवधि यथाविहित होगी :

परन्तु यह कि सामान्य सभा का कोई सदस्य प्रबन्ध समिति में पदाधिकारी के एक से अधिक पद को धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि सामान्य सभा का कोई सदस्य, जो कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर के किसी अन्य जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी नहीं होगा, यदि कुलाबा समिति का कोई पदधारी किसी उच्चस्तरीय जल उपभोक्ता समिति का पदाधिकारी चुना जाए तो वह कुलाबा समिति का पदाधिकारी नहीं रहेगा।

(4) यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे तो उसे यथाविहित रीति से वापस बुलाया जा सकता है।

(5) यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति में चुन लिया गया है, वापस बुला लिया गया है या मृत है तो इस प्रकार हुयी रिक्ति को विहित समय के भीतर भरा जायेगा।

(6) यदि कोई कुलाबा, रजबहा या शाखा से नीचे जल प्राप्त करता है तो सिंचाई अधिकारी जल उपभोक्ता समिति के गठन की कार्यवाही करेगा, जिसमें सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलाबा समितियों की विनिर्दिष्ट संख्या होगी और यथास्थिति रजबहा या शाखा के स्तर पर जल उपभोक्ता समिति से सम्बद्धता होगी। ऐसे जल उपभोक्ता समिति का स्तर अल्पिका स्तर जल उपभोक्ता समिति के समान होगा। अग्रतर ऐसे जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ यथा स्थिति रजबहा या शाखा स्तर पर उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा होगी।

(7) यदि उपधारा (6) में यथा पूर्वोक्त जल उपभोक्ता समिति का गठन सम्भव न हो तो सम्बन्धित कुलावा समितियों की सम्बद्धता का स्तर प्रत्येक ऐसे जल उपभोक्ता समिति एवं उससे सम्बद्ध की जाने वाली कुलावा समिति के साथ यथा विहित परामर्श के पश्चात निर्धारित किया जायेगा। ऐसे मामले में कुलावा समिति की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजन के लिये जल उपभोक्ता समिति की सम्बद्धता की सामान्य सभा होगी। यदि सम्बद्धता सम्भव न हो, तो सक्षम सिंचाई अधिकारी सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सम्बद्धता होने तक ऐसी कुलावा समितियों के लिये तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

स्पष्टीकरण : सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलावा समितियों के समूह के गठन और संघ के प्रयोजनार्थ, समीपस्थता और सामान्य जल प्रवाह के सिद्धांत पर प्रमुख रूप में विचार किया जाएगा। उपधारा (6) और (7) के अनुसार गठन और सम्बद्धता करने में अक्षमता की आपवादिक परिस्थिति में, सक्षम सिंचाई अधिकारी ऐसी कुलाबा समिति के लिए जल उपभोक्ता समिति के तात्कालिक उच्च स्तर के सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) यदि कोई कुलाबा सीधे नहर से जल प्राप्त करता है तो सक्षम सिंचाई अधिकारी ऐसी कुलाबा समिति/समितियों के लिए तात्कालिक उच्च स्तर जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन

9–(1) अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के प्रचालन के क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जायेगा जिसे क्रमशः अल्पिका समिति, रजबहा समिति और शाखा समिति कहा जाएगा।

(2) अपने प्रचालन के क्षेत्र में ठीक नीचे के स्तर के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य, यथा स्थिति, अल्पिका समिति, रजबहा समिति या शाखा, समिति की साधारण निकाय का गठन करेंगे।

(3) शाखा नहर से आफ–टेक करने वाली अल्पिकाओं के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति की दशा में, विनिर्दिष्ट संख्या में जल उपभोक्ता संघों को समाविष्ट करते हुए अल्पिका स्तर पर एक जल उपभोक्ता समिति गठित की जा सकती है और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। ऐसे जल उपभोक्ता समितियों की प्रास्थिति शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की होगी। अग्रतर, ऐसे जल उपभोक्ता संघ की प्रबन्ध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगी।

(4) यदि उपधारा (3) में यथा उपर्युक्त रूप से जल उपभोक्ता समिति का गठन साध्य न हो, तो संबंधित अल्पिका समितियों की संबद्धता के स्तर का अवधारण प्रत्येक ऐसी अल्पिका समिति और सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति से यथा विहित परामर्श के पश्चात किया जाएगा। ऐसी दशा में अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति की साधारण निकाय का गठन करेगी।

(5) यदि कोई अल्पिका मुख्य नहर से सीधे शुरूआत करती है तो सक्षम नहर अधिकारी ऐसी अल्पिका समिति के लिये ऐसी सम्बद्धता तक के लिये रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों और शक्तियों का निर्वहन करेगा।

अल्पिका समिति, रजबहा समिति और शाखा समिति की प्रबंध समिति

10–(1) अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के लिये एक प्रबंध समिति होगी। समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसे विहित किये जाये। यदि प्रबंध समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला या नहर के अंतिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व न हो तो प्रबन्ध समिति द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों अथवा यथास्थिति नहर के अन्तिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत में से प्रत्येक गैर प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के प्रति एक व्यक्ति को सहयोजित किया जाएगा। पंचायत में से प्रत्येक गैर प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के प्रति एक व्यक्ति को सहयोजित किया जाएगा। ऐसी प्रबन्ध समिति जल उपभोक्ता समिति के कृत्यों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।

(2) अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के सदस्य यथा विहित अवधि और रीति में निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अधीन विहित कर्त्तव्यों के निर्वहन में, विफल रहता है तो उसे यथाविहित रीति में वापस बुलाया जा सकता है।

(4) प्रबंध समिति के पदाधिकारी, समिति के निर्वाचित सदस्यों में से स्वयं समिति के द्वारा यथाविहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।

परियोजना समिति स्तर पर जल उपभोक्ता का गठन

11–(1) शाखा समितियों के सभी अध्यक्षों से परियोजना समिति का गठन होगा।

(2) परियोजना समिति के सदस्य अपने में से यथा विहित रूप से सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चयन करेंगे।

त्याग–पत्र की स्वीकृति

12–(1) किसी भी स्तर के जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के किसी सदस्य का त्याग–पत्र संबंधित जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

(2) किसी जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष का त्याग–पत्र उसके ठीक उच्चतर स्तर के जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी जैसी भी स्थिति हों, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

विद्यमान जल उपभोक्ता समितियों पर अधिनियम का लागू होना

13–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व के दिनांक को शासनादेश 2188/27–4–67–डब्लू/96 दिनांक 1 मई, 05 के अनुसरण में गठित, किसी वर्णित क्षेत्र की कोई विद्यमान जल उपभोक्ता समिति कार्यशील बनी रहेंगी, यदि सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति के बीच हुए करार के उपबंध इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबंधों से संगत हो।

जल उपभोक्ता समितियों के आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

14–किसी जल उपभोक्ता समिति के सामान्य निकाय या प्रबंध समिति के सभी अनुज्ञापन, आदेश, निर्णय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज जल उपभोक्ता समिति के सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

किसी कमी या रिक्ति आदि द्वारा अधिनियम का अविधिमान्वीकृत न होना

15–किसी जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय या प्रबंध समिति के कार्य या कार्यवाहियां ऐसे जल उपभोक्ता समिति के गठन में केवल किसी रिक्ति त्रुटि की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य न होगी यदि ऐसी बैठक में यथा विहित गणपूर्ति और अध्यक्ष उपस्थित हों।

जल उपभोक्ता संघों को सिंचाई प्रणाली प्रबंधन का अंतरण किया जाना

16–(1) धारा–7 की उपधारा (1) या धारा–9 की उपधारा (1) के अधीन किसी जल उपभोक्ता समिति के गठन की अधिसूचना के पश्चात्, सिंचाई विभाग द्वारा अपने प्रचालन के क्षेत्र में आने वाली सिंचाई प्रणाली का पबंधन आगामी फसल के मौसम में, (यथास्थिति, रबी या खरीफ) यथास्थिति, कुलाबा, अल्पिका या रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को सौंप दिया जाएगा। यदि ऐसा फसल मौसम एक महीने के भीतर ही पड़ रहा हो तो ऐसी सुपुर्दगी आने वाले आगामी फसल मौसम से प्रभावी होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा नियोजित और निधि पोषित अल्पिका के पुनःस्थापना जैसे सिविल कार्य धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध के अंतरण पश्चात जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे। जहाँ कोई जल उपभोक्ता समिति योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम न हो वहां सिंचाई विभाग इन कार्यों को जल उपभोक्ता समिति के संतोषानुरूप जल उपभोक्ता समिति की ओर से विशिष्ट मामले मे रूप में इन कार्यों को करवायेगा।

सिंचाई प्रणाली का स्वामित्व राज्य सरकार में होगा

17–सिंचाई प्रणाली, जिसका प्रबंधन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जल उपभोक्ता समिति को अंतरित किया गया है, का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।

जल उपभोक्ता समिति और सरकार के मध्य और जल उपभोक्ता समिति के मध्य करार

18–(1) जल उपभोक्ता समिति को जल के थोक आपूर्ति तथा संबंधित मुद्दों के प्रयोजनों के लिये रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति यथा विहित रीति में सिंचाई विभाग के साथ एक करार करेगी। प्रत्येक अन्य निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अपने ठीक उच्चतर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के साथ समान करार करेगी।

(2) किसी लिखित करार या किसी विद्यमान करार के पुनः नवीकरण के अभाव में नहर के जल की प्रत्येक आपूर्ति राज्य सरकार या इस प्रयोजनार्थ पदाभिहित सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकथित दरों और शर्तों के अधीन रहते हुए दी गई समझी जायेगी।

(3) करार के निबंधनों और शर्तों के अनुरूपता के सिवाय, नहर के जल के उपयोग का कोई अधिकार या, यथास्थिति, सिंचाई विभाग/जल उपभोक्ता समिति द्वारा किसी जल उपभोक्ता समिति/भूमिधारी को उपलब्ध जल की आपूर्ति की बाध्यता का कोई अधिकार न तो प्राप्त किया जाएगा न प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

(4) निम्नलिखित मामलों के सिवाय, यथास्थिति, सक्षम नहर अधिकारी या जल उपभोक्ता समिति निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या किसी भूमिधारी को जल की आपूर्ति नहीं रोकेगी।

(एक) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा आदेशित और स्वीकृत किसी कार्य के निष्पादनार्थ जब कभी और जब तक के लिये ऐसी आपूर्ति को रोकना आवश्यक न हो जाए;

(दो) जब कभी और जब तक के लिये ऐसा जल मांग उचित स्वरूप में अनुरक्षित न हो और उससे जल के बहाव की बरबादी को रोकना आवश्यक हो;

(तीन) ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत की जाय;

(5) (एक) कोई जल उपभोक्ता समिति अपने जल वितरण के कार्य को विक्रय, या दर किरायेदारी पर नहीं देगी या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।

(दो) कोई भी जल उपभोक्ता समिति किसी नहर से संलग्न किसी कार्य, भवन या भूमि के उपयोग के अधिकार को बेचने या दर किरायेदारी पर देने या अन्यथा प्रभावित करने का हकदार न होगा।

(तीन) यदि यह पाया जाता है, कि किसी जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति अपने कृत्यों का निष्पादन करने में विफल रही है तो सक्षम नहर प्राधिकारी उसे अपने कृत्यों के निष्पादन में सक्षम बनाने हेतु सहायता देगा और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। यदि ऐसी सहायता के बावजूद प्रबंध समिति कार्य सम्पादन में विफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी उसके विलय और नई प्रबंध समिति के गठन का आरंभ ऐसी रीति में कर सकता है जैसी कि विहित की जाय।

जल का आय–व्ययक बनाना

19–प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को ध्यान में रखते हुए फसल मौसम के पर्याप्त पहले से अपने जल बजट के अनुसार फसल योजना तैयार करेगी और तद्नुसार एक प्राथमिक सिंचाई कार्यक्रम की योजना सक्षम नहर अधिकारी के परामर्श से तैयार करेगी। ऐसा फसल पैटर्न एवं सिंचाई कार्यक्रम राज्य सरकार की कृषि एवं सिंचाई नीतियों की संगति में होगा।

मापन उपकरणों की स्थापना

20–सक्षम नहर अधिकारी यथाविहित जल उपभोक्ता समिति को जलापूर्ति के बिंदु पर जल के परिमाण को मापने के लिये मापन उपकरणों को उपलब्ध करायेगा और इसका रख–रखाव करेगा और व्यावहारिक स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मौसम के लिये प्रति वर्ष जल संवहन क्षमता भी अवधारित करेगा।

जल उपभोक्ता समितियों हेतु जलापूर्ति के लिये रीति और दरें

21–सिंचाई विभाग द्वारा रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को आपूर्ति बिंदु पर परिमाण की माप करते हुए जल की आपूर्ति की जायेगी। सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति प्रत्येक फसल सत्र के आरंभ पर प्रवाह की संयुक्त रूप से जांच करेंगे। फसल अवधि के दौरान जल उपभोक्ता समिति को जल दिये जाने के सही निर्धारण के लिए यदि आवश्यक हो, तो अन्य समयों पर भी, प्रवाह को संयुक्त रूप से मापा जा सकता है। प्रत्येक फसल सत्र के अंत पर फसल वार जल का प्रभार आरोपित किया जायेगा।

भू–राजस्व के बकाये के रूप में देयों की वसूली

22–इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जा रही या की जाने वाली वसूली के किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विधिसम्मत रूप से देय और जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा प्रमाणित कोई धनराशि जो भूस्वामी/जल उपभोक्ता/जल उपभोक्ता समिति द्वारा अंशदत्त रह गई हो, को कलेक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।

जलापूर्ति की विफलता या रोके जाने की दशा में प्रतिपूर्ति और माफी

23–राज्य सरकार या जल उपभोक्ता समिति के नियंत्रण से परे या किसी मरम्मत, या नहर में किसी परिवर्तन या परिवर्धन या उसमें जल के समुचित बहाव को विनियमितीकरण हेतु किये गए किन्हीं उपायों या सिंचाई के स्थापित मार्ग के अनुरक्षण के कारण से जो कि सक्षम नहर अधिकारी आवश्यक समझता है, नहर में जल की विफलता या रोके जाने के द्वारा हुई किसी हानि के संबंध में राज्य सरकार या जल उपभोक्ता समिति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया जाएगा, किन्तु यथा विहित ऐसी हानि उठाने वाला भूमि–धारी, यथास्थिति, जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत जल के उपयोग के लिए संदेय सामान्य जल प्रभारों से माफी के लिए दावा कर सकता है।

शीर्ष समिति

24–(1) राज्य सरकार शीर्ष समिति के नाम से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन कर सकती है जिसमें एक अध्यक्ष और 20 से अनधिक ऐसी संख्या में सदस्य होंगे जिसमें से आधे सदस्य विहित पात्रता के सरकारी पदधारी होंगे और शेष अन्य ऐसी जल उपभोक्ता समिति जैसी विहित किया जायें, के अध्यक्ष होंगे।

(2) यह समिति राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रक्रिया के अनुश्रवण मूल्यांकन एवं अनुसंधान के लिये जिम्मेदार होगी और राज्य सरकार को आवश्यक फीडबैक (पृष्ठ प्रेषण) उपलब्ध करायेगी तथा नीति विषयक मामलों में सलाह देगी।

(3) यह समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी जैसी विहित की जाय।

निबंधक, निर्वाचन अधिकारी, समक्ष नहर अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति

25–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों यथा निबंधक, निर्वाचन अधिकारी, सक्षम नहर अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

जल उपभोक्ता समिति में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

26–(1) राज्य सरकार यथा विहित रीति में जल उपभोक्ता समितियों के अनुरोध पर अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर सकती है।

(2) जल उपभोक्ता समितियों द्वारा कार्यालय क्षेत्र से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को वेतन और/या खाद्यान्न के रूप में यथा अनुमोदित मजदूरी पर किराये पर रखा/नियुक्त किया जा सकता है।

(3) पदाधिकारियों और जल उपभोक्ता समितियों के नियमित कर्मचारियों के पारिश्रमिक और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जायें।

अध्याय–तीन

निधियों के स्रोत

जल उपभोक्ता समिति की निधियों के स्त्रोत

27–(1) जल उपभोक्ता समिति की आय का मुख्य स्रोत, उसके द्वारा आपूर्त किये गये जल हेतु संग्रह किये गये शुल्क का अंश, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, होगा।

(2) कोई जल उपभोक्ता समिति निम्नलिखित स्रोतों से भी निधियाँ जुटा सकती है :–

(एक) सक्षम नहर प्राधिकारी के अनुमोदन से सिंचाई प्रणाली के परिचाालन क्षेत्र में सम्पत्ति तथा आस्तियों की आय से।

(दो) शास्तियों तथा प्रशासन शुल्क।

(तीन) भू–धारकों से अंशदान।

(चार) दान

(पांच) जमा राशियों पर ब्याज

(छः) उधार

(सात) सेवाओं हेतु प्राप्त फीस

(आठ) राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अनुदान

(नौ) अन्य स्रोतों से आय जैसा विहित किया जाये।

निधियों का उपयोग

28–जल उपभोक्ता समिति के निधियों का उपयोग उनके उद्देश्यों की पूर्ति तथा कृत्यों के निष्पादन हेतु किया जायेगा।

बजट

29–जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित किया जायेगा जिसे विहित रीति से सामान्य सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

निधियों को जमा करना एवं उसका प्रशासन

30–जल उपभोक्ता समिति किसी अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में समिति के नाम से खोले गये खाता में अपनी निधि जमा करेगी।

संरक्षित निधि

31–प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति संरक्षित निधि को एक पृथक खाता में अनुरक्षित करेगी और इनका उपयोग ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाये।

अंकेक्षण

32–प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति अपने वार्षिक लेखा की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक से करायेगी जैसा विहित किया जाये।

<u>अध्याय–चार</u>

अपराध और शास्तियां

जल उपभोक्ता समिति नियमित निकाय होगा

33–(1) जो कोई भी सिंचाई प्रणाली के वर्णित क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य, विधिक प्राधिकार के बिना करता है, अर्थात :

(एक) किसी नहर या जल निकासी संकर्म को क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, वृद्धि या बाधित करता है;

(दो) किसी नहर या जल निकासी मार्ग में या 'के अधीन', 'को' या से', जल प्रवाह या जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करता है या जलापूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करता है;

(तीन) सिंचाई प्रणाली के कार्यवाही क्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल का उपयोग करता है;

(चार) जल की बर्बादी को रोकने के लिये समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा करता है या उससे जल के प्राधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप करता है, या ऐसे जल का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करता है;

(पांच) किसी नहर जल को विकृत या अपमिश्रित कर देता है जिससे यह उस प्रयोजनार्थ जिसके लिये इसका सामान्य उपयोग किया जाता है, कम उपयोगी हो जाय;

(छः) लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निश्चित किये गये वाटर गेज या किसी तल चिन्हों को नष्ट कर देता है;

(सात) किसी नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या किनारों या किसी संकर्म के आर–पार जानवर या कोई वाहन नियमों के प्रतिकूल जब उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई है, पार करता है, पार कराता है सिवाय उन स्थानों के जहां पशुघाट की व्यवस्था की गयी हो और इसके लिए सड़क बनायी गयी;

(आठ) अनुसूचित सिंचाई सारिणी के क्रियान्वयन में बाधा डालता है;

(नौ) नहर अथवा जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण अथवा नहरी आस्तियों अथवा शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है;

(दस) इस अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है;

तो वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड, जो रुपये एक हजार से कम न हो तथा क्षति मूल्य की सीमा अथवा दानों तक हो सकता है, की शास्ति का दायी होगा।

(2) जब भी उपधारा (1) में वर्णित अपराध किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी द्वारा किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय का प्रभारी हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के कृत्यों के लिये उत्तरदायी हो तथा उन कृत्यों को करने की शक्ति रखते हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के विरुद्ध भी ऐसे अपराध हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा दण्डित किया जायेगा।

(3) जब कभी भी किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अर्थदण्ड लगाया जाता है तो उपयुक्त न्यायालय अर्थदण्ड का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रतिकर के रूप में ऐसे व्यक्ति को जिसको अपराध से क्षति हुई हो, को भुगतान करने हेतु निदेश दे सकता है।

अपराधों की विवेचना

34–(1) उपधारा 33(1) के अधीन अपराधों की विवेचना हेतु अल्पिका समिति अथवा अन्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति सक्षम विवेचक अभिकरण का कार्य करेगी। तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, उन अपराधों की विवेचना करेंगे जो निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के क्षेत्राधिकार में घटित हो।

(2) जिस जल उपभोक्ता समिति के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित हो उसका अध्यक्ष अपराध की सूचना संज्ञान में आते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को सूचित करने हेतु बाध्य होगा तथा सक्षम विवेचक अभिकरण के अनुरोध पर वह विवेचना में सहयोग देगा।

(3) पुलिस अधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों का यह कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध घटित होने अथवा उसका प्रयत्न होने की जानकारी पाते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को उनके घटित होने अथवा प्रयत्न होने की सूचना देंगे तथा सक्षम विवेचक अभिकरण को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में सहायता देंगे।

(4) सक्षम विवेचक अभिकरण अपने क्षेत्राधिकारी में धारा 33 के अधीन दण्डनीय अपराधों की जानकारी होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र विवेचना प्रारम्भ कर देगी।

(5) विवेचना के संबंध में सक्षम विवेचक अभिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी को संज्ञेय अपराधों की विवेचना के लिये समय–समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त है।

(6) यदि किसी जल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष उपधारा (2) के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे सक्षम विवेचक अभिकरण द्वारा सहअपराधी माना जायेगा तथा तद्नुसार दण्डित किया जायेगा।

कार्यवाही संस्थित करना

35–(1) किसी भी न्यायालय द्वारा सक्षम विवेचक अभिकरण की लिखित शिकायत के सिवाय धारा 34 के अधीन किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

अपराधों का प्रशमन

36–(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति, कम्पनी या सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर, सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, किसी भी स्तर पर प्रशमन फीस जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक न हो, लगा कर अपराध का प्रशमन कर सकते हैं :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूर्व में दो बार अपराध कर चुकी हो अथवा जिसकी भूमि को इस प्रकार के अनाधिकृत कृत्य से पूर्व में दो बार लाभ हो चुका हो तो अपराधों का प्रशमन नहीं किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अंतर्गत लगाये गये प्रशमन फीस का पूर्ण अथवा आंशिक भाग असंदत्त है तो सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करवायेगा।

अपील

37–धारा 33 के अधीन निर्णय और आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति समय–समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।

दायित्व जब अनधिकृत रीति से जल उपयोग करने वाले की पहचान न हो सके

38–यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल का प्रयोग अनधिकृत रीति से किया गया है, और यदि वह व्यक्ति, जिसके कार्य या उपेक्षा द्वारा ऐसा उपयोग हुआ है, की पहचान नहीं की जा सकती है, तो व्यक्ति जिसकी भूमि से ऐसा जल प्रवाहित हुआ है, यदि ऐसी भूमि को उससे लाभ हुआ है, या यदि ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है या यदि ऐसी भूमि को कोई लाभ नहीं हुआ है और ऐसी भूमि के स्वामी ने इस प्रकार से जल के अधिकृत प्रवाह की सूचना सक्षम अधिकारी को समय से नहीं दी है, तो ऐसे आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति संयुक्त या विवाक्षित रूप से, जैसा मामला हो, ऐसे प्रयोग हेतु किये गये प्रभारों के दायी होंगे।

दायित्व जब जल का प्रवाह बर्बाद होता है

39–यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग द्वारा जल बर्बादी को प्रवाहित होता है, और यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जांच के पश्चात् व्यक्ति जिसके कृत्य या उपेक्षा से जल की ऐसी बर्बादी होने की खोज नहीं की जा सकती है, तो ऐसे नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद किये गये जल के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

धारा 38 व 39 के अधीन शास्ति तथा निर्णय के अतिरिक्त वसूली योग्य प्रभार

40–(1) जल के अप्राधिकृत प्रयोग या बर्बादी के लिये समस्त प्रभार ऐसे प्रयोग का बर्बादी के कारण उपगत किसी शास्ति के अतिरिक्त वसूल किये जा सकेंगे।

(2) धारा 38 व 39 के अधीन जल उपभोक्ता समिति द्वारा किये गये सभी निर्णय अपीलीय अधिकारी को अपील के अध्यधीन होंगे।

अन्य विधियों के अधीन अभियोजन से रोक नहीं

41–इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या द्वारा दण्डनीय अपराधों के लिये किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से नहीं रोकेगी।

शास्तिक प्रभार

42–अप्राधिकृत सिंचाई हेतु सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर का कम से कम 10 गुना प्रभार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि अप्राधिकृत सिंचाई की पुनरावृत्ति होती है तो यह प्रभार सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर के 20 गुना के बराबर तक होगा।

अध्याय–पांच

विवाद का समाधान

विवादों का निपटारा

43–(1) जल उपभोक्ता समिति के गठन, प्रबंधन, शक्तियों एवं कृत्यों के संबंध में विवाद अथवा मतभेद का समाधान निम्नानुसार होगा :

(एक) जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान उसकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।

(दो) जल उपभोक्ता समिति के सदस्य तथा प्रबंध समिति के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान यथास्थिति सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(तीन) जल उपभोक्ता समितियों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक विवाद अथवा मतभेद का समाधान संदर्भित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

अपील

44–(1) जल उपभोक्ता समिति के निर्णय से व्यथित कोई पक्ष सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा उसके न गठित होने की दशा में सुसंगत सक्षम नहर अधिकारी को अपील कर सकता है;

(2) निर्णय या आदेश के तीस दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अपील का निस्तारण दाखिल किये जाने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा।

(4) सक्षम नहर अधिकारी के निर्णय अथवा आदेश से व्यथित कोई पक्ष ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण प्रावधान

45–किसी भी सार पर किसी जल उपभोक्ता समिति के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशक्ति हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण

46–जल उपभोक्ता समितियों को स्थापित करने के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार सामान्य प्रकृति के ऐसे आदेश या निदेश, जैसा वह आवश्यक समझें, जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

निर्देश दिये जाने की राज्य की शक्ति

47–यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जल उपभोक्ता समिति के किसी कार्य से इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ हो या अनियमितता हुई है तो यह आदेश द्वारा सक्षम नहर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन जांच करने या इसी तरह की कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है तथा सक्षम नहर अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी उस जांच अथवा मुकदमें के परिणाम की सूचना राज्य सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर जैसी आदेश में विहित की जाय, प्रेषित करेगा।

जांच

48–इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच हेतु अधिकृत कोई अधिकारी उन सभी शक्तियों, जो साक्ष्य के बुलाने तथा परीक्षण से संबंधित है, का उपयोग उसी प्रकार कर सकेगा जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सिविल न्यायालय को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसी प्रत्येक जांच एक न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगी।

साक्ष्यों को बुलाने तथा परीक्षण करने का अधिकार

49–जल की आपूर्ति इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित दावा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार अथवा जल उपभोक्ता समिति के विरुद्ध किये गये समस्त दावों का विचारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता

50–प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा जल उपभोक्ता समितियों का उनके कार्यों के निष्पादन हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षमता वर्धन किया जायेगा तथा तदोपरान्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के आधार पर सहायता भी प्रदान की जा सकेगी।

प्रशिक्षण

51–राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

52–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करके निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी रहेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53–उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (जल प्रबंध समिति) नियमावली, 1983 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

निरसन और अपवाद

54–(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत्य कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में 74,000 कि0मी0 लम्बी नहर प्रणाली और 29,000 नलकूप राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। उत्तर प्रदेश का सकल कमांड क्षेत्र 2,579 करोड़ हेक्टेयर है जिसके 66 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र के कुल 1,697 करोड़ हेक्टेयर के 26.3 प्रतिशत भाग की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। उक्त सिंचाई सुविधाओं के बावजूद कमांड क्षेत्र की कृषि उत्पादकता देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त थीं। नहर द्वारा सिंचाई अपनी पूर्ण कुशलता के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी जिसका कारण अपर्याप्त अनुरक्षण था, जिसके अन्तर्गत राजस्व की अल्प वसूली और प्रबन्धन पर बढ़ता हुआ व्यय तथा राज्य सरकार का पूर्ण प्रबन्धन भी है। अन्य चिन्ताजनक पहलुओं में कमांड क्षेत्र में अधिक मात्रा में कृषि जोत थी जिसके कारण कृषक आधुनिक साधनों को अपनाने में आर्थिक रूप से अक्षम थे। जिसके फलस्वरूप सरकारी संस्थानों के लिये सिंचाई जल का वितरण, सिंचित क्षेत्र के अभिलेख का रख–रखाव, राजस्व की वसूली और प्रबन्धन आदि कठिन हो गया था। यह महसूस किया गया कि कमांड क्षेत्र के कृषि जोतों की उत्पादकता घटती जायेगी जब तक कि कमांड क्षेत्र के कृषक अपनी समिति न बना लें और आधुनिक कृषि के तरीकों, सिंचाई व निवेश प्रबन्धन न अपना लें। अतएव, नहर जल के आनुपातिक और वांछित उपयोग और समुदाय के सहयोग से सिंचित कृषि के दीर्घकालिक स्वामित्व के लिये यह आवश्यक था कि जल उपभोक्ता समिति का गठन करके सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर जल उपभोक्ता समिति का गठन करने और उन्हें सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सशक्त करने के लिये व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 को उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध, अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।